सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
उम्मेदाराम पुत्र निम्बाराम जाति कुम्हार, निवासी गूंगा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		निम्बाराम पुत्र सुरताराम जाति कुम्हार, निवासी गूंगा तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (05)

मुकदमा नम्बर 444/2025

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.09.2025	प्रार्थी अधिवक्ता श्री अभयसिंह राठौड़ द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक खातेदारी का खेत मौजा कुमावतों की ढाणी, तहसील शिव के मूल खसरा नम्बर 200, 201, 203, 206, 208, 210, 502 रकबा क्रमशः 42.00, 25.02, 48.01, 45.01, 113.03, 180.01, 16.03 बीघा तथा वर्तमान नवीन खसरा नम्बर 995/212, 1334/210, 1333/210 रकबा क्रमशः 8.4174, 4.3706, 2.1044 हैक्टेयर के आये हुए है। उक्त विवादित आराजी पूर्व पुरूष सुरताराम से विरासत में प्राप्त हुई है। सुरताराम के फौत होने पर वर्तमान में विवादित आराजी में प्रार्थी के पिता विप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। विवादित आराजी पैतृक भूमि होने से प्रार्थी का विवादित आराजी में हक हिस्सा निहित होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक सम्पति में पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री का जन्म से अधिकार निहित हो जाता है। वर्तमान में विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर प्रार्थी को उनके पैतृक खातेदारी हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त से बेदखल करने की धमकियां दी जा रही है तथा विवादित आराजी को अजनबी क्रेताओं को बैचान करने पर आमादा है, जबकि विप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि विप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तथा प्रार्थी के पुश्तैनी खातेदारी हक हिस्सा व कब्जा काश्त में बलपूर्वक प्रवेश कर प्रार्थी को बेदखल किया जाता है अथवा मौका स्थिति में परिवर्तन किया जाता है अथवा भूमि का बैचान या हस्तांतरण किया जाता है तो इससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकती। अतः समस्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्वांत प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी/हस्तक्षेप नहीं करने तथा वर्तमान मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जा[illegible] सादिर फरमाई जावें। हमने प्रार्थी अ[illegible] का अवलोकन किया। पत्राव[illegible] विवादित आराजी विप्रार्थी संख्या 1 को पूर्व पुरूष सुरताराम के [illegible] होने से उक्त पैतृक [illegible] होने से विवादित आराजी में प्रार्थी का पैतृक रू[illegible] हक हिस्सा निहित है त[illegible] मौके पर अपने हक हिस्सा में काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक सम्पति में पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री का जन्म से अधिकार निहित हो जाता है। यदि विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलदांजी पैदा की जाकर उसे बेदखल किया जाता है अथवा उनके हक हिस्सा की भूमि पर जबरन	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.02.18 09:54:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(बाड़मेर)

कब्जा किया जाता है अथवा भूमि का हस्तांतरण किया जाता है तो इससे अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होने से इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही मौके पर तनाव व विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आंशका रहेगी तथा प्रार्थी के पैतृक खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को आरजी तौर पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नही होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आरजी/आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा कुमावतों की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 995/212 रकबा 8.4174 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलदांजी नहीं करने तथा वर्तमान मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय का अस्थाई अंतरिम स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी तक जारी किया जाता है।

पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण के सम्मन/नोटिसों का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 1/10/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव
सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

सेवामें,

1.10.25 पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी/विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित.
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 6.11.25 को पेश हो।

6.11.25 पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित। पत्रावली विप्रार्थीगण की तामील हेतु दिनांक 11.12.25 को पेश हो

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

11.12.25 पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी/विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 30.01.26 को पेश हो।

30.01.26 पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील [illegible]। पत्रावली में पैरवी हेतु प्रार्थी व [illegible] को न्यायालय समय में एक-[illegible] कोई उपस्थित नहीं। अतः [illegible] नहीं होने तथा अनुपस्थित रहने पर पत्रावली इसी स्टेज पर [illegible] पैरवी व अदम हाजरी में खारिज की जाती है। साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा को समाप्त किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.02.18 09:54:34 IST
Reason: SelfAttested